ई-मेल/स्पीड पोस्ट/ असाधारण पेंशन
I/1223231/2026
संख्या- 2260पी/छः-पु-6-2025-6-6099/244/2025

प्रेषक,

आलोक यादव
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 02-02-2026**

विषय:- जनपद-जालौन के स्व0 आरक्षी भेदजीत सिंह की आश्रित पत्नी श्रीमती सीमा देवी के पक्ष में असाधारण पेंशन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-चार-1004-2024 दिनांक 13.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन में नियुक्त स्व0 आरक्षी भेदजीत सिंह की आश्रित पत्नी श्रीमती सीमा देवी के पक्ष में असाधारण पेंशन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली-1961 के तृतीय संशोधन नियमावली-2018 के बिन्दु संख्या-3(1)(क) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदया जनपद-जालौन में नियुक्त स्व0 आरक्षी भेदजीत सिंह की आश्रित पत्नी श्रीमती सीमा देवी के पक्ष में असाधारण पेंशन निम्न शर्तो के अधीन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है:-

श्रीमती सीमा देवी, पत्नी स्व0 भेदजीत सिंह, आरक्षी	**<u>पेंशन:-</u>** मूल वेतन रू0-22,400/- व मँहगाई भत्ता (42%) रू०-9408/- का योग रू0-31808/- प्रतिमाह मृतक की अधिवर्षता आयु अथवा स्व0 आरक्षी की पत्नी श्रीमती सीमा देवी की जन्मतिथि 10.01.1983 के पुनर्विवाह अथवा मृत्यु की तिथि, जो भी पहले हो, तक देय होगी। **उपादान:-** मूल वेतन रू0- 22400/- व मॅहगाई भत्ता (42%) रू०-9408/- का योग रू0 31808/- X 8 रू0- 2,54,464/- एक मुश्त देय होगी। उक्त पेंशन दिनांक 11.05.2023 से देय होगी। जिसका भुगतान कोषागार मथुरा से होगा। उल्लेखनीय है कि स्व0 आरक्षी की पत्नी श्रीमती सीमा देवी की आर्थिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक जालौन ने अपने आदेश संख्या-87/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा दिनांक 11.05.2023 से अनन्तिम पेंशन रू0- 11200/- एवं देय मॅहगाई राहत प्रतिमाह एवं अनन्तिम उपादान रू0-57255/- स्वीकृत किया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय के पेंशन भुगतानादेश संख्या- POLICE-VII/A/2840/P-43557/2023 दिनांक 05.09.2023 द्वारा पारिवारिक पेंशन दिनांक 11.05.2023 से रू0- 9000/- व देय मॅहगाई राहत एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	उपादान भुगतानादेश संख्या- POLICE-VII/A/2840/G-61565/2023 दिनांक 05.09.2023 उपादान रू0-133593/- स्वीकृत किया जा चुका है, इस प्रकार कुल रू0 190848/- का पारिवारिक उपादान स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

3- यह धनराशि उ0प्र0 के आय-व्यय के लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-200-अन्य पेंशन-02 असाधारण पारिवारिक पेंशन-26 पेंशन तथा आनुतोषिक" के नामे डाला जायेगा। अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त उक्त पेंशन सुसंगत नियमों/शर्तो के अनुसार पुनरीक्षित की जायेगी।

4- नवीन पारिवारिक पेंशन योजना,1965 के अन्तर्गत श्रीमती सीमा देवी को स्वीकृत पेंशन तथा ग्रेच्युटी की धनराशि उपरोक्त स्वीकृत की गयी असाधारण पेंशन तथा ग्रेच्युटी में से नियमानुसार समायोजित कर ली जायेगी।

5- कृपया भुगतान के आदेश नियमानुसार निर्गत कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>**संलग्नकः**</u> चरित्र पंजिका मूलरूप में संलग्न।

भवदीय,
(आलोक यादव)
अनु सचिव।

<u>**संख्या एवं तददिनांक-**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस आशय से प्रेषित कि सम्बंधित कार्मिक को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे इस आदेश की एक प्रति श्रीमती सीमा देवी पत्नी स्व0 भेदजीत सिंह, निवासिनी-ग्राम चौरम्बार, थाना-बल्देव, पोस्ट-सेजा, जनपद-मथुरा (उ0प्र0) को प्राप्त कराकर, इसकी तामीली सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा।
6. स्पीड पोस्ट- श्रीमती सीमा देवी पत्नी स्व0 भेदजीत सिंह, निवासिनी-ग्राम चौरम्बार, थाना-बल्देव, पोस्ट-सेजा, जनपद-मथुरा (उ0प्र0)।
7. अनुभाग अधिकारी, गृह (नियंत्रण) कक्ष, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से
आलोक यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Filename:	भेदजीत सिंह
Directory:	C:\Users\DELL\Downloads
Template:	C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	2/4/2026 1:09:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	2/4/2026 1:09:00 PM
Last Saved By:	DELL
Total Editing Time:	1 Minute
Last Printed On:	2/4/2026 1:11:00 PM
As of Last Complete Printing	
Number of Pages:	2
Number of Words:	650 (approx.)
Number of Characters:	3,707 (approx.)